न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 19/2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,अजमेर

..........*प्रार्थी*

बनाम

1– श्री रामनिवास पुत्र श्री हरीसिंह–वेण्डर–रिफ्रेशमेन्ट स्टॉल, (N/to Janahar), मैसर्स–भगवानदास सौभागचंद (प्रोपराईटर श्रीमति हेमा पत्नि श्री भगवानदास) रेल्वे स्टेशन, प्लेटफॉर्म सं0 1, अजमेर (वेण्डर)
स्थाई पता–ग्राम खेडला, तहसील वजीरपुर बरोली, जिला सवाई माधोपुर, राज0

2– श्रीमति हेमा पत्नि श्री भगवानदास, प्रोपराईटर, रिफ्रेशमेन्ट स्टॉल (N/to Janahar), मैसर्स–भगवानदास सौभागचंद, रेल्वे स्टेशन, प्लेटफॉर्म सं0 1, अजमेर (प्रोपराईटर)
स्थाई पता–398/33, चर्च रोड़, पाल बीछला, अजमेर

3– मैसर्स–भगवानदास सौभागचंद रिफ्रेशमेन्ट स्टॉल (N/to Janahar), रेल्वे स्टेशन, प्लेटफॉर्म सं0 1, अजमेर (फर्म)
स्थाई पता–398/33, चर्च रोड़, पाल बीछला, अजमेर

........*अप्रार्थीगण*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : श्री परमेश्वर चौधरी, वकील अप्रार्थी की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक–05.07.2023

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र में लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन, अजमेर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण ने सब स्टैण्डर्ड Poorie Prepared in Refined Soyabean Oil का उपयोग कर खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 12.07.2022 को 11.30 बजे खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स–भगवानदास सौभागचंद (प्रोपराईटर श्रीमति हेमा पत्नि श्री भगवानदास) रेल्वे स्टेशन, प्लेटफॉर्म सं0 1, अजमेर पर पहुँचे श्री रामनिवास पुत्र श्री हरिसिंह मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को Poorie Prepared in Refined Soyabean Oil विक्रय कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान Poorie Prepared in Refined Soyabean Oil में मिलावट का शक होने पर उसमें से नमूना जॉच हेतु 2000 ग्राम Poorie Prepared in Refined Soyabean Oil वास्ते नमूना जाँच हेतु 300/– रूपये श्री रामनिवास पुत्र श्री हरिसिंह को नगद देकर गवाह श्री विनोद कुमार पुत्र श्री सन्नुलाल, सामान्य सहायक अधीनस्थ खाद्य संरक्षा अधिकारी, अजमेर के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री रामनिवास को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा 2000 ग्राम Poorie Prepared in Refined Soyabean Oil को चार साफ सूखे खाली प्लास्टिक के डिब्बों में 500–500 ग्राम बराबर बराबर भागों में बांटकर चार लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक NWR–940 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने में से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी, उ0प0 रेल्वे जयपुर के पत्र क्रमांक मेड/एच/605/एफएसएसए/लैबरिपोर्ट्स/एनडब्ल्यूआर–940 दिनांक 22.07.2022 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. एलएस/958/एक्ट/2022/819 दिनांक 18.07.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जाँच उपयोग में ली गई Poorie Prepared in Refined Soyabean Oil सब स्टैण्डर्ड होना पाई गई। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 29.03.2023 को प्रस्तुत हुआ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 29.03.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री रामनिवास व अन्य को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 05.07.2023 को अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुये तथा जवाब नोटिस पेश किया। उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। अप्रार्थीगण ने जवाब नोटिस पेश कर कथन किया कि उनकी प्लेटफॉर्म नं0 1, रेल्वे स्टेशन अजमेर स्थित दुकान से रिफाईण्ड सोयाबीन तेल से निर्मित पुड़ी का नमूना लिया गया था जो सबस्टैण्डर्ड होना पाई गई है। वर्तमान में सोयाबीन तेल की गुणवत्ता में सुधार कर लिया गया है एवं उच्च गुणवत्ता रखी जा रही है। अप्रार्थीगण ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद मे उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करते हुए यह अनुरोध किया कि भविष्य में इस तरह की कोई गलती नही की जायेगी। उन पर कम से कम

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रॉप किया जाये। चूंकि परिवाद में अप्रार्थीगण श्री रामनिवास व अन्य ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर अपना जुर्म कबूल किया तथा लिखित में जवाब प्रस्तुत किया एवं न्यूनतम शास्ती राशि लगाने हेतु निवेदन किया। अभियुक्तगण द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं परिवाद में वर्णित गवाहान को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नहीं समझा गया। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजों खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जाँच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय की गई Poorie Prepared in Refined Soyabean Oil सब स्टैण्डर्ड होना पाई गई, जिसके लिए अभियुक्तगण दोषी प्रतीत होते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री रामनिवास व अन्य द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने के दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा विक्रय किये जा रहे उत्पाद में निर्धारित मूल्यों व मापदण्डों अनुसार गुणवत्ता का नहीं होना आम जनता/उपभोक्ता के स्वास्थ्य के साथ स्पष्ट रूप से खिलवाड़ है। उपभोक्ता कोई भी उत्पाद विश्वास के साथ क्रय करता है, विक्रेता का इस प्रकार का कृत्य उपभोक्ता के विश्वास को भी परोक्ष रूप से आघात पहुँचाता है एवं विक्रेता/फर्म का ऐसा कृत्य अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन कर समाज में एक सकारात्मक संदेश प्रसारित करने के दृष्टिगत अप्रार्थी को इस चेतावनी के साथ हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगे। इस आशय का शपथ-पत्र भी उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त श्री रामनिवास व अन्य को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि अप्रार्थी अभियुक्तगण ने उस पर लगाये गये आरोप को स्वीकार कर भविष्य में इस तरह की गलती की पुनःरावृति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया है। परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्तगण श्री रामनिवास व अन्य को रु 21000/- (अक्षरे इक्कीस हजार रूपये मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्तगण उपरोक्त शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 05.07.2023 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 05.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2023/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2- संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, अजमेर
3- अभिहित अधिकारी, उ0प0 रेल्वे, प्रधान कार्यालय जवाहर सर्किल, जयपुर

4– श्री रामनिवास पुत्र श्री हरीसिंह–वेण्डर–रिफ्रेशमेन्ट स्टॉल, (N/to Janahar), मैसर्स–भगवानदास सौभागचंद (प्रोपराईटर श्रीमति हेमा पत्नि श्री भगवानदास) रेल्वे स्टेशन, प्लेटफॉर्म सं0 1, अजमेर

5– श्रीमति हेमा पत्नि श्री भगवानदास, प्रोपराईटर, रिफ्रेशमेन्ट स्टॉल (N/to Janahar), मैसर्स–भगवानदास सौभागचंद, रेल्वे स्टेशन, प्लेटफॉर्म सं0 1, अजमेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर